

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिनांक: मई 21, 2013

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में न्यायालय की टोयोटा करोला संख्या यू.ए. 04 बी/3322 जो न्यायालय परिसर में जहां है, जैसी है, को नीलाम किये जाने हेतु बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म को बन्द निविदा, निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 20/06/2013 को दोपहर 02:00 बजे तक जमा करानी होगी। निर्धारित प्रपत्र न्यायालय के नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा जमा करने हेतु उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग में रु.5,500/- (रु.5,000/- रिफन्डेबल तथा रु.500/- निविदा शुल्क) की जमानत धनराशि जमा करनी होगी।

वाहन का अवलोकन दिनांक 05/06/2013 से 16/06/2013 तक प्रशासनिक भवन (सिविल कोर्ट), हल्द्वानी तथा दिनांक 17/06/2013 से 20/06/2013 मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में किया जा सकता है। प्राप्त निविदायें दिनांक 20/06/2013 को अपराह्न 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी/अधिकृत अधिकारी के समक्ष खोली जायेंगी। विवरण उच्च न्यायालय की वैबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in में भी उपलब्ध है।

ह0/-

महानिबन्धक

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर इसे वृहद् प्रचार हेतु चस्पा करें :-

1. जिला न्यायाधीश, नैनीताल।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. अपर जिला न्यायाधीश, सिविल कोर्ट, हल्द्वानी।
5. जिलासूचना अधिकारी, नैनीताल।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल।
7. लोक निर्माण विभाग, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
8. न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने हेतु।

Borwate 21/05/13
सहायक निबन्धक (नजारत)
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल

नियम एवं शर्तें

- निर्धारित प्रपत्र उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रपत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in में भी उपलब्ध है।
- निविदा जमा करने हेतु उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग में दिनांक 20/06/2013 को दोपहर 01:00 बजे तक रु.5,500/- (रु.5,000/- रिफण्डेबल तथा रु.500/- निविदा शुल्क) की जमानत धनराशि जमा करनी होगी। बिना जमानत धनराशि जमा कराए, जमा की गई निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- इच्छुक व्यक्ति/फर्म, नीलामी की जाने वाले वाहन का अवलोकन दिनांक 05/06/2013 से 16/06/2013 तक प्रशासनिक भवन (सिविल कोर्ट), हल्द्वानी तथा दिनांक 17/06/2013 से 20/06/2013 मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में कर सकते हैं।
- इच्छुक व्यक्ति/फर्म को बन्द निविदा, निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 20/06/2013 को दोपहर 02:00 बजे तक उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी।
- प्राप्त बन्द निविदाएँ दिनांक 20/06/2013 को अपराह्न 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी/अधिकृत अधिकारी के समक्ष खोली जायेंगी।
- निविदाओं को खोलते समय निविदा दाताओं को स्वयं उपस्थित होना होगा, अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में ही निविदाएँ खोली जायेंगी।
- माननीय उच्च न्यायालय को बिना कारण बताए, निलामी की तिथि में परिवर्तन करने तथा समस्त निलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।
- असफल निविदा दाताओं को रु.5,000/- की धनराशी का भुगतान उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग द्वारा उसी दिन कर दिया जाएगा। सफल निविदा दाता की रु.5,000/- की धनराशी, निविदा की समस्त धनराशी जमा करने तथा सामान को उठवाने के उपरान्त ही वापस की जाएगी।
- सफल निविदा दाता को उसके द्वारा लगाये गए मूल्य के अतिरिक्त सम्बन्धित टैक्स (जैसा लागू हो) भी देना होगा। तथा सामान उठाने से पूर्व स्वयं के पहचान-पत्र की फोटोकॉपी तथा एक फोटो जमा कराना होगा।
- बन्द निविदा में मूल्य निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर लगाना होगा। वाहन का निर्धारित न्यूनतम मूल्य रु.2,00,000/- है। वाहन को निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर किसी भी दशा में नीलाम नहीं किया जायेगा। उच्चतम निविदा को भी निरस्त करने का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।
- समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम निविदा तभी अन्तिम मानी जायेगी जब विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर ली जाये।
- माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम निविदा के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

- अधिकतम बोलीदाता को नीलामी समाप्ति एवं न्यायालय द्वारा निविदा की धनराशि की स्वीकृती के उपरान्त तुरन्त न्यायालय के रोकड़ अनुभाग में पूर्ण धनराशि नकद जमा करानी होगी, उसके उपरान्त ही वाहन को ले जाने दिया जायेगा।
- वाहन को नीलामी स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर ले जाना होगा अन्यथा उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी और उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशी जब्त कर ली जायेगी। तथा वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।
- बन्द निविदा जमा करने वाले वाले व्यक्ति/फर्म का स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि निविदा जमा करने से पूर्व नीलामी किये जाने वाले वाहन को सम्यक् रूप से निरीक्षण/परीक्षण कर ले। निरीक्षण/परीक्षण का अर्थ वाहन को चलाकर दिखाना या चलाकर देखने देना, कदापि नहीं होगा।
- टोयोटा करोला संख्या यू.ए. 04 बी/3322 (मॉडल-2004) जो न्यायालय परिसर में जहां है, जैसी है, वैसे ही स्थिति में नीलाम किया जायेगा।
- यदि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के संज्ञान में यह बात आती है कि निविदाकर्ताओं ने आपस में गिरोह बना लिया है या कोई सांठ-गांठ कर रखी है और वाहन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी निरस्त/स्थगित की जा सकती है।
- इच्छुक व्यक्ति/फर्म को बन्द निविदा जमा करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर नियम एवम् शर्तों की कॉपी तथा **संलग्नक फार्म-1** को भरकर तथा यथास्थान हस्ताक्षर करके जमा करना होगा।
- नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी वाद का अधिकार क्षेत्र नैनीताल स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

ह0/-
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल

फार्म-1

• व्यक्ति/फर्म का नाम:-

• पूरा पता:-

.....

.....

• मोबाइल/फोन नम्बर:-

• सुरक्षा धनराशी रु.5,500/- (रु.5,000/- रिफन्डेबल तथा रु.500/- निविदा शुल्क) को रोकड़ अनुभाग में जमा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर:-

.....

• वाहन का लगाया गया मूल्य

रु.

शब्दों में (.....)

नोट:- निर्धारित न्यूनतम मूल्य रु.2,00,000/- से ऊपर।

स्थान:-

दिनांक:-

व्यक्ति/फर्म के हस्ताक्षर